



भारत में वित्तीय अंतरण

प्रलम्बिस के लिये:

[कर अंतरण, सहायता अनुदान, GST कार्यान्वयन, भारत के नयित्तरक और महालेखा परीक्षक, 16वाँ वित्त आयोग](#)

मेन्स के लिये:

भारत में राजकोषीय संघवाद की वर्तमान स्थिति

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

भारत के कई राज्यों ने दावा किया कि [कर अंतरण \(Tax Devolution\)](#) की वर्तमान योजना के अनुसार उन्हें अपना उचित हिस्सा प्राप्त नहीं हो रहा है। उनके अनुसार, प्राप्त राशि की तुलना में वे [राष्ट्रीय कर पूल](#) में अधिक योगदान करते हैं।

भारत में कर अंतरण की वर्तमान स्थिति क्या है?

- **परिचय:** वित्तीय अंतरण/न्यागमन (Financial devolution) का तात्पर्य केंद्र सरकार से राज्यों को वित्तीय संसाधनों और नरिणय लेने की शक्तियों के अंतरण से है।
- **सांविधानिक ढाँचा:** संविधान का अनुच्छेद 270 केंद्र सरकार और राज्यों के बीच नविल कर आय के वितरण की रूपरेखा नरिदषिट करता है।
 - प्रत्येक पाँच वर्ष में गठित [वित्त आयोग \(FC\)](#), केंद्र सरकार के वभिज्य करों के पूल {उपकर (Cess) और अधभार (Surcharge) के अतरिकित} से धन के ऊर्ध्वाधर/वषिमस्तरीय (Vertical) वितरण की अनुशंसाएँ करता है।
 - इसके अतरिकित यह वभिनिन राज्यों के बीच इन नधियों के समस्तर आवंटन के लिये एक सूत्र प्रदान करता है।
 - करों के आवंटन के अतरिकित, राज्यों को वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार [सहायता अनुदान](#) भी प्रदान किया जाता है।
 - **डॉ. अरवदि पनगढिया** की अध्यक्षता में **16वें वित्त आयोग** को वर्ष **2026-31** की अवधि के लिये संबद्ध वषिय हेतु अनुशंसाएँ करने का कार्य सौपा गया है।
- **राज्यों के बीच अंतरण के लिये मानदंड:** वर्तमान में **15वें वित्त आयोग** की अनुशंसा के अनुसार वभिज्य पूल (ऊर्ध्वाधर/वषिमस्तरीय अंतरण) में राज्यों की हसिसेदारी **41%** है।


Table 1 : The criteria for horizontal devolution among States over the last five FCs

Criteria	11th FC 2000-05	12th FC 2005-10	13th FC 2010-15	14th FC 2015-20	15th FC 2021-26
Income Distance	62.5	50	47.5	50	45
Population (1971 Census)	10	25	25	17.5	-
Population (2011 Census)	-	-	-	10	15
Area	7.5	10	10	15	15
Forest cover	-	-	-	7.5	-
Forest and ecology	-	-	-	-	10
Infrastructure index	7.5	-	-	-	-
Fiscal discipline	7.5	7.5	17.5	-	-
Demographic performance	-	-	-	-	12.5
Tax effort	5	7.5	-	-	2.5
Total	100	100	100	100	100

- राज्यों का योगदान एवं कर-अंतरण:

Chart 1: The amount in ₹ each State got for every rupee they contributed to Central taxes in 2021-22*

Customs and union excise duties have not been considered in the calculation as State wise data is not maintained



- कर अंतरण के संबंध में चर्चाएँ:

- उपकर और अधभार का अपवर्जन: कर राजस्व के वभिज्य पूल से [उपकर](#) और अधभार के अपवर्जन को लेकर चर्चाएँ जताई गई हैं, जिससे राज्यों के कर राजस्व में हसिसेदारी में कमी आ रही है।
 - केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया गया उपकर और अधभार **सत्र 2024-25 के लिये उसकी सकल कर प्राप्तियों का लगभग 23%** होने का अनुमान है, जो वभिज्य पूल का हसिसा नहीं है तथा इसलिये राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है।
- GST कार्यान्वयन के लिये अपर्याप्त मुआवज़ा:** कुछ राज्यों का मानना है कि [GST कार्यान्वयन](#) के दौरान राजस्व हानि के लिये मुआवज़ा अपर्याप्त है, वे राजस्व की कमी को दूर करने के लिये एक नषिपक्ष तंत्र का आग्रह कर रहे हैं।
- नधि उपयोग में लचीलेपन का अभाव:** कुछ राज्य स्थानीय प्राथमकताओं की आपूर्ति के लिये अंतरति नधियों के उपयोग में अधिक लचीलेपन का समर्थन करते हैं।

नोट:

- **आय असमानता:** किसी राज्य की आय और प्रतिव्यक्ति उच्चतम आय वाले राज्य के बीच असमानता को संदर्भित करता है।
 - राज्यों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिये प्रतिव्यक्ति निम्न आय वाले राज्यों को अधिक हसिसा मिलता है।
- **जनसंख्या: वर्ष 2011 की जनगणना** के आधार पर जनसंख्या गणना का प्रतिनिधित्व करता है। पहले, 14वें वित्त आयोग तक वर्ष 1971 की जनगणना की जनसंख्या पर विचार किया जाता था, लेकिन 15वें वित्त आयोग में यह प्रथा बंद कर दी गई।
- **वन और पारिस्थितिकी:** सभी राज्यों में कुल घने वन क्षेत्र की तुलना में प्रत्येक राज्य में **घने वन क्षेत्र के समानुपात** पर विचार किया जाता है।
- **जनसांख्यिकीय प्रदर्शन: जनसंख्या नियंत्रण में राज्यों के प्रयासों** को मान्यता देने के लिये इसे पेश किया गया, जिसमें कम प्रजनन अनुपात वाले राज्यों को उच्च अंक प्राप्त हुए।
- **कर प्रयास:** जो राज्य अपनी कर संग्रहण प्रक्रिया में उच्च दक्षता प्रदर्शित करते हैं उन्हें कर प्रयास से पुरस्कृत किया जाता है।

आगे की राह

- **राजकोषीय संघवाद ढाँचे की समीक्षा: अंतरण** प्रक्रिया में अंतराल और अक्षमताओं की पहचान करने के लिये राजकोषीय संघवाद ढाँचे की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता है।
 - इसमें मौजूदा तंत्र की प्रभावशीलता का आकलन करने और सुधारों का प्रस्ताव करने के लिये एक समर्पित आयोग की स्थापना शामिल हो सकती है।
- **प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन: सुशासन, पारदर्शिता और विकास परिणामों** जैसे क्षेत्रों में प्रदर्शन संकेतकों के लिये अतिरिक्त **अंतरण** को जोड़ने से ज़िम्मेदार संसाधन प्रबंधन को प्रोत्साहन मिल सकता है।
- **संस्थानों को सुदृढ़ बनाना: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG)** जैसे सशक्त संस्थान लौटाए गए धन के प्रबंधन में प्रभावी निरीक्षण और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2023)

1. जनसांख्यिकीय नषिपादन
2. वन और पारिस्थितिकी
3. शासन सुधार
4. स्थिर सरकार
5. कर एवं राजकोषीय प्रयास

समस्तर कर-अवक्रमण के लिये पंद्रहवें वित्त आयोग ने उपर्युक्त में से कतिने को जनसंख्या क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा नकिष के रूप में प्रयुक्त किया?

- (a) केवल दो
- (b) केवल तीन
- (c) केवल चार
- (d) सभी पाँच

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की विविधता कीजिये जो स्थानीय शासन की वित्त-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये पिछले आयोगों से भिन्न हैं। (2013)

